शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 05.10.2024

थाना कांट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

“थाना कांट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 520/2024 धारा 103(1) BNS में घटना का अनावरण करते हुए हत्या की घटना को अन्जाम देने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर महोदय के सतत मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना काँट द्वारा थाना हाजा की पुलिस टीम के साथ मिलकर थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 520/24 धारा 103(1) BNS** में घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना को अन्जाम देने वाले प्रकाश में आये दो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। दिनाँक 01/10/24 में वादी देशराज पुत्र दाताराम ग्राम कादर दादपुर उर्फ लिल्थरा यादव गौटिया थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कांट में **मु0अ0सं0 520/24 धारा 103(1) BNS बनाम सन्देही अभियुक्तगण 1. आराम पुत्र नामालूम निवासी ग्राम हथिनी नगरिया थाना कलाँन 2. संजेश पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्रा0 ढुकुरिहाई थाना कलाँन जिला शाहजहाँपुर** बावत वादी के भाई मोरपाल उर्फ पप्पू बाबा पुत्र दाताराम की गला रेतकर हत्या करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है। घटना के अनावरण हेतु युद्ध स्तर पर किये गये अथक प्रयासों के फलस्वरूप मृतक मोरपाल उपरोक्त के छोटे सगे भाई सत्यपाल पुत्र दाताराम निवासी ग्राम कादरदादपुर उर्फ लिल्थरा यादव गौटिया थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर ने अपने दामाद देवेन्द्र पुत्र साधू निवासी मदनपुर थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर के साथ मिलकर मृतक मोरपाल उपरोक्त की 3 बीघा जमीन में हिस्सा प्राप्त करने हेतु व मृतक मोरपाल के गलत चाल-चलन जिसमें महिलाओं से अवैध सम्बन्ध के कारण छुरी से गला काटकर हत्या कर दी तथा अपने दूसरे भाई वादी मुकदमा को गुमराह करके मुकदमें में गलत नाम 1. आराम पुत्र नामालूम निवासी ग्राम हथिनी नगरिया थाना कलाँन 2. संजेश पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्रा0 ढुकुरिहाई थाना कलाँन जिला शाहजहाँपुर का मुकदमें में लिखा दिया। नाम लिखवाने के पीछे स्पष्ट कारण रहा कि आराम सिंह के भाई विनोद से अभियुक्त सत्यपाल ने 1,30,000/- रूपये अपनी नाबालिग पुत्री की शादी करने के लिये अपने बहनोई संजेश उपरोक्त के द्वारा लिये और समय पर न शादी की और न ही पैसे वापस किये। इन्हीं पैसों को वापस करने के लिये भी मृतक मोरपाल अपने भाई अभियुक्त सत्यपाल पर दबाव बना रहा था जिस कारण दोनों भाईयों का आपस में झगड़ा भी हुआ था। इसी कारण अभियुक्त सत्यपाल ने स्वयं को तथा अपने अभियुक्त दामाद देवेन्द्र उपरोक्त को बचाने की नियत से आराम व संजेश उपरोक्त के नाम अपने भाई देशराज से FIR में लिखाकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया ताकि उसके व उसके दामाद की तरफ किसी का ध्यान न जाये। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त सत्यपाल की निशांदेही पर घटना कारित करते समय पहने कपड़े व घटना में प्रयुक्त छुरी भी बरामद की गयी। अभियुक्तों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

- **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –**

  1. सत्यपाल पुत्र दाताराम निवासी ग्राम कादर दादपुर उर्फ लिल्थरा यादव गौटिया थाना काँट जनपद शाहजहांपुर
  2. देवेन्द्र पुत्र साधु निवासी मदनपुर थाना कलान जनपद शाहजहांपुर

- **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

  मु0अ0सं0 520/24 धारा 103(1) BNS थाना काँट जनपद शाहजहांपुर।

- **गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक –**

अभियुक्त सत्यपाल की गिरफ्तारी सरथौली पुलिया थाना कांट से, दिनाँक 05/10/2024 को समय 06.05 बजे।
अभियुक्त देवेन्द्र की गिरफ्तारी पुरैना मोड़ के पास थाना कांट से, दिनाँक 05/10/2024 को समय 08.25 बजे।

- **बरामदगी का विवरण–**

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 1 अदद छुरी तथा घटना के समय पहने अभियुक्तगण के कपड़े जिन पर खून के धब्बे लगा होना प्रतीत हो रहा है।

- **अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास –**

क्र0सं0	नाम	आपराधिक इतिहास
1	सत्यपाल पुत्र दाताराम निवासी ग्राम कादर दादपुर उर्फ लिल्थरा यादव गौटिया थाना काँट जनपद शाहजहांपुर	मु0अ0सं0 520/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0
2	देवेन्द्र पुत्र साधू निवासी मदनपुर थाना कलान जनपद शाहजहांपुर	मु0अ0सं0 520/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0

- **गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार
2. अपराध निरीक्षक श्री सत्य सिंह
3. उ0नि0 श्री राम सुन्दर यादव
4. उ0नि0 श्री दीपक कुमार
5. कां0 2139 विनीत कुमार
6. कां0 2752 अनुराग शाक्य